

न्यायालय भू अगिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला-पाली (राजस्थान)

निवासी अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहलाना आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS No : 2022/330

दायरा तिथि : 10-08-2022

फैसला तिथि : 31-08-2022

प्रार्थी:-

चन्द्रलता पत्नी श्री अनिल कुमार पुत्री वरदीदास जाति साद
निवासी हल हण्णी तहसील बाली

बनाम

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
उपरिस्थिति:-

1. श्रीमती चन्द्रलता..... स्वयं प्रार्थी
2. नायब तहसीलदार, बाली पैरोकार सरकार की ओर से

-:: आदेश ::-

दिनांक 31-08-2022

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा ग्राम धणी तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 1103 रकबा 0.8100 व खसरा नंबर 1039, 1041 रकबा 3.5200 हेक्टर में दर्ज त्रुटिपूर्ण नाम स्नेहलता पुत्री वरदीदास को दुरस्ती के माध्यम से सही व वास्तविक नाम चन्द्रलता पुत्री वरदीदास शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रति पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने जांच कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वर्णित भूमि में त्रुटिपूर्ण नाम स्नेहलता पुत्री वरदीदास दर्ज होने तथा प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज आधार कार्ड, माध्यमिक परीक्षा 1994 अंकतालिका व शपथ पत्र के अनुसार प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम चन्द्रलता पुत्री वरदीदास दर्ज होना स्वीकार किया तथा उक्त त्रुटि नामान्तरकरण दर्ज करते समय होना स्वीकार करते हुये राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी के त्रुटिपूर्ण नाम स्नेहलता पुत्री वरदीदास के स्थान पर चन्द्रलता पुत्री वरदीदास शुद्ध किये जाने बाबत सहमति प्रदान की गई।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम चन्द्रलता पुत्री वरदीदास है, जिसकी पुष्टि में प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज आधार कार्ड, माध्यमिक परीक्षा 1994 अंकतालिका व शपथ पत्र की प्रतियां पेश कर दी हैं। नामान्तरकरण दर्ज करते समय त्रुटिपूर्ण नाम स्नेहलता पुत्री वरदीदास दर्ज है, जिससे राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम को भी दुरस्त किये जाने की मांग की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। ग्राम धणी तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 1103 रकबा 0.8100 व खसरा नंबर 1039, 1041 रकबा 3.5200 हेक्टर में दर्ज त्रुटिपूर्ण नाम स्नेहलता पुत्री वरदीदास को दुरस्ती के माध्यम से सही व वास्तविक नाम चन्द्रलता पुत्री वरदीदास शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, धणी को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फंसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहलाना)
आई.ए.एस.
बाली, जिला-पाली (राज.)
अगिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बाली
बाली, जिला-पाली (राज.)



आदेश आज दिनांक 31-08-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।